

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विधि सं 38/2014 स्व हीरा के कामु-प्रशान्त वगैरा
बनाम: पुखराज वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट, 1955
एवं सपठित आदेश-39, नियम-1 व 2 सी.पी.सी.

दिनांक 23.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकॉर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में वर्णित वाद-विषयक स्थिति एवं साक्ष्य-दस्तावेजात पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा पुराडा पटवार सर्कल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 815, 819, 821, 822 कुल रकबा 1.89 हेक्टर के 1/4 हिस्से के बारे में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 51/2014 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते हैं।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पुराडा पटवार सर्कल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 815, 819, 821, 822 कुल रकबा 1.89 हेक्टर के 1/4 हिस्से के बारे में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 51/2014 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प-न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज दिनांक 23.06.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फाँसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 51/2014 के साथ नथी हो।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)